## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग—2 विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015/09, श्रावण, 1937 (शेंक)

संख्या-25

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 28 जुलाई, 2015 की घोषणा के अनुसार सदन की बैठक पुनः दिनॉक 03 अगस्त, 2015 को अपराह्न 02.00 बजे विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली—54 में की जाएगी।

## विशेष उल्लेख (नियम-280):

जो सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले को जिस दिन/तिथि में उठाना चाहते है वह उस प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन अर्थात् दिनाँक 3 अगस्त, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक नोटिस शाखा (कमरा नं. 46) में दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग 03 अगस्त, 2015 को पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि विशेष उल्लेख के अंतर्गत आने वाले विषय केवल 8 से 10 लाइनों तक सीमित रखें व सदन में अपने विषय से अलग अन्य विषय पर चर्चा न करें। विशेष उल्लेख का विषय केवल एक ही विभाग व एक ही विषय से संबंधित होना चाहिए।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा सचिव

# LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

#### BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Friday, 31 July, 2015/ 9 Shravana 1937 (Saka)

No. 25

As announced by the Hon'ble Speaker on 28 July 2015, Hon'ble Members are hereby informed that the sitting of the House will resume on 3 August 2015 at 2 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat Delhi - 54.

### Special Mention (Under rule 280):

Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M on the date, on which the matter is proposed to be raised i.e. 3 August 2015. Notices will be received in the Notice Branch (Room No. 46). Balloting for fixing *inter-se* priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on 3 August 2015. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

As per directions of the Hon'ble Speaker, Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text as admitted while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA Secretary